उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद
U.P. Council of Agricultural Research

अष्टम् तल, किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

पत्रांकः **दिनांकः**

<u>टेण्डर नोटिस</u> विज्ञापन सं0 6/2017

उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में निष्प्रयोज्य पेट्रोल वाहन यू0पी0–32/डी–4667 (जिप्सी), माडल 1991 एवं यू0पी0 32/ए वाई–1955 (अम्बेसडर कार), माडल 2003 एवं वाहनों के पुराने पार्ट्स व पुराने टायरों की नीलामी ''जहॉ है, जैसी स्थिति में है'' दिनॉक 23–8–2017 को अपरान्ह् 02:00 बजे की जायेगी। नीलामी बोली में भाग लेने हेतु रू0 10,000/– (रूपया दस हजार) की जमानत राशि, जो सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद के पक्ष में देय हो, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक/नकद के माध्यम से दिनॉक 23–8–2017 को मध्यान्ह् 01.00 बजे तक जमा करना होगा। नीलामी की शर्ते परिषद की बेवसाइट www upcaronline.org पर उपलब्ध हैं।

स्थान : लखनऊ

दिनॉक : 03–8–2017 **सहायक महानिदेशक**

उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद
U.P. Council of Agricultural Research
अष्टम् तल, किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010
8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

पत्रांकः स्टोर/टी0सी0/2016 दिनॉक 04 अगस्त, 2017

खुली नीलामी की शर्तें

1. नीलामी ''जहां है, जैसी स्थिति में है'' पुराने वाहन/पार्ट्स व टायरों की उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खुली नीलामी के तौर पर की जायेगी।

2. प्रत्येक बोलीदाता नीलामी से पूर्व अपने स्तर से किसी भी कार्य दिवस में वाहनों/पुराने पार्ट्स व टायरों को भली–भांति जॉच कर सकता है। बोली स्वीकृत होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की शिकायत पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

3. बोलीदाता को वाहनों एवं पुराने पार्ट्स व टायरों आदि का उठान अपने खर्च पर करना होगा।

4. नीलामी में भाग लेने वाले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास वांछित लाईसेंस अथवा प्रमाण पत्र हो, अन्यथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की वैघानिक कार्यवाही के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।

5. वैट/व्यापार कर नियमानुसार स्वीकृत बोलीदाता द्वारा अतिरिक्त देय होगा। अन्य किसी प्रकार के स्थानीय टैक्स का उत्तरदायित्व भी क्रेता का होगा।

6. विवाद की स्थित में मा0 न्यायालय, लखनऊ अथवा सम्बन्धित जनपद ही मान्य होगा।

7. नीलामी के समय पैन नम्बर/जी0एस0टी0/टिन नम्बर की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है, अथवा नीलामी में बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

8. नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाताओं को जमानत धनराशि रू0 10,000/– (रूपया दस हजार), जो सचिव उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद के पक्ष में देय हो, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक स्थानीय शाखा पर देय हो अथवा नकद स्वीकार किया जायेगा। वांछित जमानत की धनराशि के अभाव में बोलीदाता द्वारा दी गयी बोली स्वीकार नहीं होगी।

9. बोली स्वीकृत न होने की दशा में जमानत धनराशि बोलीदाताओं को वापस कर दी जायेगी।

10. नीलामी की अधिकतम धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि अधिकतम बोलीदाता द्वारा तुरन्त जमा करायी जायेगी एवं अवशेष धनराशि परिषद से स्वीकृत प्राप्त होने के उपरान्त वैट सहित अधिकतम बोलीदाता से जमा करायी जायेगी।

11. वाहनों व पुराने पार्ट्स आदि को एक सप्ताह के अन्दर उठान कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गई 50 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

12. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

13. किसी भी वाहन को नीलामी में रखने अथवा न रखने बोलीदाता को बिना कारण बताए स्वीकार करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार परिषद के सक्षम अधिकारी में निहित होगा।